उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

4702 /UPUMS/2645-CD/25-26 03/01/26

निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के पैरामेडिकल परिसर में स्थित दुकानों के आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति/फर्म/कंपनी/सोसायटी से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। दुकानों के क्षेत्रफल, न्यूनतम मासिक लाइसेंस शुल्क/किराया, पात्रता, निविदा शुल्क, धरोहर राशि, शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.upums.ac.in पर दिनांक 05.01.2025 से उपलब्ध है।इच्छुक निविदाकर्ता निर्धारित समयावधि में वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

(के0 बी0 अग्रवाल)
प्रभारी–अनुबंध प्रकोष्ठ

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

निविदा आमंत्रण सूचना

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के पैरामेडिकल परिसर स्थित सामुदायिक केन्द्र की निम्नलिखित क्षेत्रफल की दुकानों/स्थानों हेतु चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय(प्रतिबन्धित व्यवसाय, यथा सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान–मसाला शराब का ठेका, मॉस–मछली काटने का कार्य एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का क्रय-- विक्रय आदि को छोडकर) मासिक लाईसेन्स शुल्क के आधार पर दुकान/स्थान आवंटित किये जाने हेतु व्यक्ति/फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी से निविदा का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। निविदादाता व्यवसाय चुनने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र स्थित अन्य दुकानों तथा चुने गये व्यवसाय की व्यापकता के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के पश्चात् ही निविदा लगायें। चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय में से किसी व्यवसाय हेतु निविदा न प्राप्त होने की दशा में ही अन्य व्यवसाय हेतु निविदाओं पर विचार किया जायेगा। विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार उक्त व्यवसायों में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

दुकानों/स्थान का क्षेत्रफलवार विवरण तथा न्यूनतम फ्लोर प्राइस निम्नवत् वर्णित किया जा रहा है–

क्रम सं०	शॉप एरिया (लगभग)	निर्धारित न्यूनतम फ्लोर प्राइस	प्रस्तावित/आरक्षित व्यवसाय
1	3000 × 4000 mm=12.0 sqm(129Sqft)	3420/-	जनरल स्टोर/ग्रोसरी
2	3000 × 4000 mm=12.0 sqm(129Sqft)	3420/-	डेयरी शॉप
3	3000 × 4000 mm=12.0 sqm(129Sqft)	3420/-	फोटोकॉपी/स्टेशनरी
4	3000 × 4000 mm=12.0 sqm(129Sqft)	3420/-	ड्राई क्लीनर्स
5	3000 × 4000 mm=12.0 sqm(129Sqft)	3420/-	फल/सब्जी/ जूस शॉप
6	3000 × 4000 mm=12.0 sqm(129Sqft)	3420/-	यूनिसेक्स सैलून
7	4000 × 5500 mm=22.0 sqm(236Sqft)	6270/-	बेकरी शॉप
8	4000 × 5500 mm=22.0 sqm(236Sqft)	6270/-	प्रस्तावित नहीं

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

*DM Circle Rate : 57000/Sqmtr

निविदा प्रपत्र शुल्कः रू0 1500.00 + 18%जीएसटी = कुल धनराशि 1770.00 व धरोहर धनराशि रू0 10000.00

निविदा प्रपत्र व धरोहर धनराशि के अलग–अलग डिमांड ड्राफ्ट– वित्त अधिकारी, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, के नाम से बना कर जमा की जायेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम धनराशि (H-1)पर नियमानुसार जीएसटी निर्धारित करते हुये दुकान आवंटित करते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

	दुकानों हेतु पंजीकरण फार्म विश्वविद्यालय की बेवसाइट http://www.upums.ac.in से प्रिंट लेकर फार्म भरने व भरे हुए फार्म पूर्ण औपचारिकता करते हुये केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रभारी–अनुबंध प्रकोष्ठ, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन भूतल स्थित कक्ष में दिनांक 05.01.2026 से दिनांक 27.01.2026 सायं 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप/कूरियर के माध्यम से कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। बन्द लिफाफे के ऊपर सामुदायिक केन्द्र में दुकान सं०..... हेतु निविदा अंकित होना चाहिये।
	बिड खुलने की तिथि एवं समय विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी।
	सक्षम प्राधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार निहित होगा तथा अन्तिम निविदा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
	चयनित बिडर के नाम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायंगे।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

निविदा हेतु नियम तथा शर्ते

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के पैरामेडिकल परिसर में स्थित सामुदायिक केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रफल की दुकानों में व्यवसाय के लिये बिडिंग प्रस्तुत करने हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें।

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा (संलग्नक भाग "क") में अपने आधार कार्ड,निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक तथा अन्य अपेक्षित अभिलेखों की स्व–सत्यापित छाया प्रतियां एवं घोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता द्वारा समस्त अभिलेखों, जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये गये है, उनकी एक अनुक्रमाणिका बनाई जायेगी, जिसमें क०सं०, पेज का सार, पेज क्रमांक का विवरण उल्लिखित हो, हस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये निविदा प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों को हस्ताक्षरित किया जायेगा ऐसा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदादाता को प्रत्येक क्षेत्रफल की दुकान हेतु अलग–अलग बिडिंग प्रेषित करना होगा।
5. निविदादाता द्वारा एक से अधिक दुकानों हेतु भी निविदा की जा सकती है
6. टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिडिंग दोनों अलग अलग लिफाफे में जमा की जाएँगी। तकनीकी बिड में अर्ह पाए गए बिडरों की वित्तीय बिड ही खोली जाएगी।
7. तकनीकी बिड में अर्ह पाए गए बिडर के नाम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
8. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा भरने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र का भ्रमण व निरीक्षण कर लें।
9. निविदादाता द्वारा व्यवसाय चुनने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र स्थित अन्य दुकानों तथा चुने गये व्यवसाय की व्यापकता के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के पश्चात् ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
10. निविदादाता प्रतिबन्धित व्यवसाय (सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान–मसाला एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का क्रय–विक्रय शराब का ठेका, मॉस–मछली काटने का कार्य) को छोडकर अन्य किसी व्यवसाय हेतु निविदा भर सकता है।
11. निविदादाता को तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर धनराशि जमा की रसीद की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर धनराशि नहीं जमा की

जाएगी, उसकी निविदा को बिना अग्रेतर विचार के निरस्त कर दिया जायेगा। जिन निविदादाताओं की निविदा असफल हो जायेगी उनकी धरोहर धनराशि निविदा निर्णीत होने के तीन माह के भीतर वापस कर दी जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि की वापसी हेतु कास चेक के साथ ही साथ निम्नलिखित विवरण देना अनिवार्य होगा।

(1) खाता संख्या
(2) खाताधारक का नाम
(3) बैंक एवं शाखा का नाम
(4) IFSC Code
(5) MICR Code

12. आवंटित की जाने वाली दुकानों का क्षेत्रफल एवं उसका न्यूनतम फ्लोर प्राइस विज्ञापन सूचना में अंकित कर दिया गया है, उससे कम फ्लोर प्राइस स्वीकार नहीं किया जायेगा और अधिकतम लाइसेन्स फीस देने वाले निविदादाता के पक्ष में निविदा निर्णीत की जायेगी। निविदादाता को वित्तीय निविदा में उल्लिखित न्यूनतम राशि से अधिक की धनराशि की निविदा लगानी है। जिस निविदादाता की अन्तिम निविदा स्वीकार की जायेगी और यदि बाद में सफल निविदादाता द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है तो निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा संबंधित दुकान/स्थान की निविदा नये सिरे से की जायेगी।
13. व्यवसाय के लिए निर्धारित स्थल के अन्दर कोई स्थायी निर्माण, करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। अस्थायी निर्माण, जैसे कि स्टैण्ड इत्यादि बनाने का अधिकार सफल निविदादाता (जिसे एतद्धश्चात् लाइसेन्सी कहा गया है) को सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् होगा।
14. चिन्हित/वरीयता वाले व्यवसाय के आधार पर स्वीकृत निविदा की स्थिति में लाईसेंसी निर्धारित स्थल पर चिन्हित/आवेदित व्यापार के अलावा अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा, अन्यथा की दशा में लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
15. प्रत्येक माह का लाइसेन्स शुल्क सम्बन्धित माह की सात तारीख के अंदर जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देय होगा।
16. लाइसेन्स अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् ही दुकान का कब्जा लाइसेन्सी को दिया जायेगा।
17. दुकानों के अनुबन्ध/लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिए होगी, जो प्रतिवर्ष संतोषजनक कार्य एवं व्यवहार के आधार पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जायेगी, परन्तु

प्रतिबन्ध यह है कि अनुबन्ध की अवधि नवीनीकरण सहित कुल 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त 05 वर्ष की अवधि में किसी भी समय विश्वविद्यालय अथवा लाईसेन्सी की ओर से अनुबन्ध तीन माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस के अभाव में अथवा नोटिस की अवधि अल्प होने पर आनुपातिक रूप में विश्वविद्यालय कोष में धनराशि जमा की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम जमा लाईसेन्स शुल्क तथा धरोहर धनराशि से उसकी वसूली की जायेगी।

18. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय दुकान का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. बिजली, पानी, सीवर, टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन लाइसेन्सी को अपने नाम व खर्चे पर सम्बन्धित विभाग से आवेदन कर प्राप्त करना होगा।
20. सभी बरामदे, कारीडोर, जीने इत्यादि को ग्राहकों के प्रयोग हेतु पूरी तौर से खुला रखना होगा तथा उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बिना किसी नोटिस के हटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा और उसके हटाने का खर्चा कुलपति या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा लाईसेन्सी से वसूल किया जायेगा, तथा यथावश्यक लाईसेन्स/अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
21. व्यापार स्थल अथवा अन्य किसी भाग/लाइसेन्स/दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
22. व्यापार स्थल के बाह्य भाग का रख–रखाव एवं सफाई स्वयं लाईसेन्सी को करनी होगी।
23. यदि व्यापार स्थल का रख–रखाव एवं सफाई सही ढंग से नही हो रही है, तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उसका रख–रखाव (सफाई) करे तथा रख–रखाव (सफाई) में होने वाले व्यय को लाईसेन्सी से वसूल करें। यदि उक्त भुगतान विश्वविद्यालय में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं जमा किया जाता है तो इसकी वसूली जमा सुरक्षा धनराशि तथा अग्रिम जमा किराये से की जाएगी तथा यथावश्यक भू–राजस्व के बकाये के माध्यम से की जायेगी।
24. लाइसेन्सी एवं उसके कर्मियों को सरकार तथा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
25. अगर लाइसेन्सी इन शर्तों के विपरीत कोई कार्य करता है अथवा कोई गैर कानूनी कार्य करता है या स्थल पर गैर कानूनी कार्यो को करने देता हैं तो आवंटी का

लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा 03 तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स फीस जब्त कर ली जायेगी।

26. यदि लाईसेन्सी आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन में व्यापार शुरू नहीं करता है तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि दुकान 01 महीने तक कभी भी बन्द पायी गयी तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा एवं दोनों स्थितियों में सुरक्षा धनराशि तथा तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स शुल्क जब्त कर ली जायेगी।
27. लाइसेंस शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति की संस्तुति के आधार पर समय–समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। समिति द्वारा लाइसेंसी द्वारा संचालित व्यवसाय की स्थिति, व्यवहार्यता एवं कार्य निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि अथवा कमी पर विचार किया जा सकेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं लाइसेंसी पर बाध्यकारी होगा।
28. विद्युत, जल, सीवर तथा अन्य समस्त उपयोगिताओं से संबंधित समस्त व्यय पूर्णतः लाइसेंसी/आवंटी द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे। इन व्ययों का भुगतान लाइसेंस शुल्क में सम्मिलित नहीं माना जाएगा।
29. लाइसन्सी एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों को विश्वविद्यालय के नियम एवं शर्तें मान्य होगी तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये पास बनवाना अनिवार्य होगा।
30. लाइसेन्सी अपने दुकान से वस्तुओं की बिक्री सैफई/इटावा में बाजार भाव से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा तथा अधिक मूल्य लेने पर उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। वस्तुओं की दर सूची सूचना पट्ट पर प्रकाशित करनी होगी।
31. लाइसेन्सी को विश्वविद्यालय द्वारा लाइसेन्स में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा किसी भी शर्त का पालन न करने पर विश्वविद्यालय द्वारा सुनवाई का अवसर देकर लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है।
32. अगर लाइसेन्सी लाइसेन्स अवधि पूरी होने के पूर्व ही अपना लाइसेन्स रद्द कराना चाहता है या दुकान छोडना चाहता है तो उसे प्रस्तर–18 के अनुसार तीन माह पूर्व विश्वविद्यालय को नोटिस देनी होगी एवं साथ में अदेयता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
33. आवंटित दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण करना विश्वविद्यालय एवं लाइसेन्स नियमों के विरूद्ध होगा एवं ऐसा करने पर दुकान का लाइसेन्स बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

34. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में प्रकरण विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा निर्णीत किया जाएगा तथा पक्षों के असन्तुष्ट होने पर कुलपति द्वारा नामित आर्बीटेटर द्वारा संगत अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निस्तारण किया जाएगा एवं उसका निर्णय दोनों पक्ष मानने को बाध्य होंगे। आर्बीटेशन के दौरान फर्म/एजेन्सी/निविदाकार कोई वाद किसी भी मा० न्यायालय में दायर नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में विधिक क्षेत्र, इटावा (Etawah) जनपद ही होगा तथा भारत संघ के कानून प्रभावी होंगे।

35. विश्वविद्यालय के कुलपति को सभी या किसी निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

36. कुलपति द्वारा नामित समिति निविदादाता के प्रतिष्ठान का साईट सर्वे डायरेक्ट अथवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कर सकती है।

37. अच्छे अनुभव/प्रतिष्ठान को तकनीकी बिड में वरीयता दी जाएगी एवं समिति को निविदादाता का प्रतिष्ठान सही न पाए जाने पर बिड को रिजेक्ट किये जाने का अधिकार होगा ।

38. निम्न कारणों से भी निविदा निरस्त की जा सकती है–

(क) निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा शुल्क संलग्न न किया गया हो।

(ख) निविदा सशर्त हो।

(ग) निविदा प्रपत्र में दिए गए शर्तों के अनुसार निविदा न प्रस्तुत की गयी हो।

(घ) कोई तथ्य छिपाया गया हो, जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय को किसी भी समय हो जाए।

39. सभी प्रकार के कर (जी०एस०टी० कर सहित) के भुगतान/देयता की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

40. निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी को रू010/– नान–जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया गया है।

41. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई किसी प्रकार की क्षति का वहन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

42. किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली धन–जन की क्षति हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा, अपितु इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लाईसेन्सी का होगा।
43. लाईसेंसी द्वारा प्रतिबन्धित व्यवसाय संचालित करने एवं दुकान पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री पकड़े जाने पर तम्बाकू नियत्रण अध्यादेश एवं उ०प्र० के संगत शासनादेशों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मासिक लाईसेंस शुल्क/किराये के बराबर दण्ड राशि जमा करनी होगी। दण्ड राशि जमा न करने अथवा दो बार से अधिक शर्त का उल्लंघन करने पर लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
44. विश्वविद्यालय को होने वाली किसी प्रकार की क्षति की वसूली लाईसेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये अग्रिम लाईसेन्स शुल्क तथा सुरक्षा धनराशि से की जायेगी।वसूली हेतु यह धनराशि अपर्याप्त होने की दशा में उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये के माध्यम से की जायेगी।
45. सक्षम प्राधिकारी को किसी भी अथवा सभी Two Bid को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किए जाने का अधिकार निहित होगा तथा अंतिम Two Bid समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
46. अनुबंध की समाप्ति पर, आवंटित दुकानों को उसी मूल स्वरूप (Original Condition) में वापस/हस्तगत करना अनिवार्य होगा, जिस स्थिति में वे आवंटन के समय थीं।
47. निविदा में भाग लेने वाली फर्म/सोसाइटी/कंपनी को अपनी तकनीकी निविदा) के साथ निम्नलिखित वैध दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां Self attested copies संलग्न करना अनिवार्य होगा
    - पंजीकरण प्रमाण पत्र/जीएसटी (GST) पंजीकरण एवं पैन कार्ड (PAN Card)।
    - लाइसेंस/वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस Food License/FSSAI एवं श्रम विभाग का लाइसेंस (Labour License)।
    - पते का प्रमाण फर्म/कंपनी का अद्यतन पता प्रमाण (Address Proof)।
    - धरोहर राशि (**EMD**): प्रत्येक दुकान हेतु ₹10,000/– (दस हजार रुपये मात्र) की धरोहर राशि जमा करनी होगी। यह राशि असफल निविदाकर्ताओं को नियम एवं शर्तों के अनुसार Refundable होगी।
48. सुरक्षा, बीमा एवं वैधानिक अनुपालन :– अग्नि सुरक्षा/लाइसेंसी को अपनी लागत पर मानक अग्निशमन उपकरण लगाने होंगे और उन्हें कार्यशील रखना होगा। लाइसेंसी सभी स्थानीय नगर निकाय, खाद्य सुरक्षा , श्रम एवं अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन हेतु

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

पूर्णतः उत्तरदायी होगा । उत्तरदायित्व किसी भी दुर्घटना या मानकों के उल्लंघन की स्थिति में समस्त विधिक एवं वित्तीय जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी ।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

संलग्नक भाग–क

विश्वविद्यालय के सामुदायिक केन्द्र स्थित दुकानों हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु तकनीकी निविदा

क्र०	विवरण	विवरण भरें
1	निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी सोसायटी का नाम	
2	व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा	
3	हैसियत (यदि कोई हो)	
4	पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाइल नं०	
5	स्थाई पता एवं मोबाइल नं०	
6	शैक्षिक योग्यता की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों संलग्न करे	संलग्नक सं०
7	व्यवसाय जिसके लिये लाइसेन्स आवेदित किया जा रहा है (विवरण निर्धारित क्षेत्रफल सहित)	दुकान सं०
8	जीएसटी नं० (यदि हो) अन्यथा व्यवसाय प्रारम्भ करने के पश्चात् प्रस्तुत करें	संलग्नक सं० पृ०सं.
9	आयकर पैन नं०(यदि कोई हो)	संलग्नक सं० पृ०सं० ..
10	वैध एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति(यदि दूकान हेतु लागू हो)	संलग्नक सं० पृ०सं० ..
10	निविदादाता/फर्म का परिचय–पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक आदि की सत्यापित छाया प्रतियों	संलग्नक सं० पृ०सं० ...
11	निविदा शुल्क रू0 1500.00 एवं 18 प्रतिशत लागू जीएसटी(कुल रू0 1770.00) का विवरण	संलग्नक सं० पृ०सं० ..
12	अर्नेस्ट मनी रू010000.00 का जमा का विवरण	संलग्नक सं० पृ०सं० ....
13.	Copy of Bank PassBook	संलग्नक सं० पृ०सं० ...
14	निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी को रू0 10.00 के नान–जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद विचाराधीन एवं न ही न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।	संलग्नक सं० पृ०सं० ..

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

क्र०	विवरण	विवरण भरें
15	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (व्यक्तिगत रूप से भरे जाने वाले निविदाकारों के लिए)	संलग्नक सं० पृ०सं० ....
16	घोषणा–पत्र (रू0 10.00 के नान–जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर)	संलग्नक सं०
17	शपथ पत्र (ब्लैकलिस्ट / सरकारी संस्था द्वारा प्रतिबंधित न होने का)	संलग्नक सं०

(स्थान / निविदादाता की स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ)

(नाम व निविदादाता के हस्ताक्षर)

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

घोषणा–पत्र
(रू0 10.00 के नान–जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर)

मैं .... निवासी .... पुत्र/पति/पत्नी .... जो कि .... (व्यक्ति फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी) के .... हैं।

मैं बिना किसी दबाव के यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को भली–भाँति अध्ययन कर लिया गया है एवं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ। इस निविदा के साथ जो भी अभिलेख या प्रपत्र मेरे द्वारा संलग्न किये गयें हैं, वह मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य व सहीं हैं। यदि संलग्न अभिलेख/प्रपत्र में कोई भी त्रुटि या असत्यता पायी जाये तो किसी भी समय मेरा/ मेरी निविदा/ लाइसेन्स अनुबन्ध निरस्त करते हुए मेरी धरोहर धनराशि एवं 03 माह का अग्रिम लाईसेन्स शुल्क जब्त कर लिया जाए।

मैं .... बिना किसी जोर दबाव के उपरोक्त को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर कर रहा/ रही हूँ।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता ....

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ0प्र0) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

वित्तीय निविदा (Financial Bid / Price Bid) प्रारूप

(केवल वित्तीय बोली हेतु – पृथक सीलबंद लिफाफे हेतु)

निविदा का नाम:

पैरामेडिकल परिसर, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई, इटावा में स्थित दुकान/स्थान का मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर आवंटन

निविदाकर्ता का नाम: ____________________

दुकान संख्या: ____________________

अनुमोदित/प्रस्तावित व्यवसाय: ____________________

भाग–क : वित्तीय प्रस्ताव (मासिक लाइसेंस शुल्क)

क्रम सं०	**विवरण**	**प्रविष्टि**
1	दुकान का क्षेत्रफल (लगभग)	__________ वर्गमीटर / वर्गफुट
2	निविदा अनुसार निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस शुल्क	₹ __________ प्रति माह
3	**निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क (अंकों में)**	₹ __________ **प्रति माह**
4	**प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क (शब्दों में)**	रुपये ______________________________ मात्र
5	जीएसटी (यदि लागू हो)	
6	कुल देय मासिक राशि (लाइसेंस शुल्क + जीएसटी)	₹ __________

टिप्पणी:

- प्रस्तावित राशि, निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस शुल्क से **कम नहीं होगी**।
- वित्तीय निविदा का मूल्यांकन **H-1 (अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क)** के आधार पर किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा (उ०प्र०) – 206 130
Uttar Pradesh University of Medical Sciences
Saifai, Etawah (U.P.) – 206 130

भाग–ख : भुगतान एवं वाणिज्यिक पुष्टि

क्रम सं०	विवरण	स्वीकृति
1	प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क जीएसटी एवं अन्य करों से पृथक है	☐ हाँ
2	जीएसटी एवं अन्य वैधानिक करों का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा	☐ हाँ
3	मासिक लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह की 07 तारीख तक जमा किया जाएगा	☐ हाँ
4	निविदा दस्तावेज में निर्धारित धरोहर राशि/अर्नेस्ट मनी जमा कर दी गई है	☐ हाँ
5	निविदा की समस्त शर्तें पूर्णतः स्वीकार्य हैं	☐ हाँ
6	कोई सशर्त / वैकल्पिक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है	☐ हाँ

भाग–ग : निविदाकर्ता की घोषणा

मैं/हम यह घोषित करते हैं कि—

1. उपरोक्त वित्तीय प्रस्ताव **सत्य, सही एवं बिना किसी शर्त** के प्रस्तुत किया गया है।
2. निविदा दस्तावेज की समस्त शर्तों एवं नियमों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया गया है तथा वे हमें स्वीकार्य हैं।
3. तकनीकी रूप से पात्र निविदाकर्ताओं में से **H-1 (उच्चतम बोलीदाता)** के आधार पर चयन स्वीकार्य होगा।
4. चयन होने की स्थिति में नियत समयावधि के भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित कर व्यवसाय प्रारम्भ किया जाएगा।

स्थान: ____________________

दिनांक: ____________________

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर: ____________________

नाम: ____________________

पदनाम: ____________________

फर्म की मुहर: ____________________